भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1949
30 जुलाई, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से अधिक भुगतान

1949. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री बिद्युत बरन महतो:

क□□ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री □□ □□□□□□ि □□□ □□□□ि□□

(□) □त्रा□□□ □ि ि□□-किन योजनाओं के अंतगत बड़े पैमाने □□ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से □□□□□ ि□□□ □□□□ □;

(□) डीबीटी के आरंभ होने के बाद से मंत्रालय द्वारा संदत्त □व्य□□□□ □□□□ □□ □□□□□-वार ब्यौरा क्या है;

(□) क□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□र्ट्री□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ ि□□□ □□□ □;

(□) □ि□ □□, तो अब तक किए गए अतिरिक्त भुगतान को वसूली के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए □□ □; □□

(□) भविष्य म ऐसी चूकों को पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का □□□□□ क□□ □?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार)

(□): स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □□□□□ □□□□□ 10 प्रत□क्ष □□□ □न□□□ (डीबीटी) योजनाएं/कायक्रम ह। ये निम्ना□□□□ □:

1. □□□□ □□क्षा □□□□□ (□□□□□□)
2. जननी शिशु सुरक्षा कायक्रम (जेएसएसके) [□□□□□□□□स□□□□ □□□□□□ □□□□□ □]□
3. □□□ प्रो□त□□□□

4. संविदात्मक स्टाफ को भुगतान
5. परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजनाएं
6. [illegible] [illegible]-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-[illegible])
7. [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible])
8. [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
9. [illegible]-निजी प्रदाताओं को अधिसूचित प्रोत्साहन
10. [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के तहत 6 डीबीटी योजनाएं/कायक्रम ह जो निम्नानुसार ह:-

1. स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए मानव संसाधन विकास के तहत शिक्षावृत्ति (फेलोशिप) कायक्रम
2. [illegible]-कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्ति
3. [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible]
4. [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
5. [illegible]-अल्पकालिक छात्रवृत्ति
6. [illegible]-मानद चिकित्सा वैज्ञानिक योजना

(ख): भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को आज तक 17.46 करोड़ रु. जारी किए गए ह जिसम संव्यवहार प्र[illegible] [illegible] [illegible]

(ग) और (घ): भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने सूचित किया है कि जनवरी, 2018 से मई, 2018 को अवधि के लिए प्रस्तुत किए बिलों म जननी सुरक्षा योजना (नकद प्रोत्साहन केवल जेएसवाई के [illegible] [illegible]) [illegible] [illegible] सभी योजनाओं के नकद प्रोत्साहन शामिल ह जिसम 3.26 [illegible] रु. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], 2018 [illegible], 2018 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 3.26 [illegible] रु. के अधिक भुगतान का वित्तीय वष 2020-21 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] तत्काल तथा अविलम्ब समायोजन पहले ही कर दिया गया है।

(ङ): मंत्रालय द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] निम्नानुसार ह:-

i. एनपीसीआई एक प्रमाणन भेजेगा कि उनके द्वारा वसूल किए गए बिल तथा दावे तथ्यात्मक रूप से सही ह तथा वित्त मंत्रालय के दिशा-[illegible] [illegible] [illegible]
ii. एनपीसीआई प्रमाणित बिलों तथा दावों के साथ संपरीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र [illegible] [illegible]
iii. एनपीसीआई के भुगतान पर कारवाई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वेतन तथा लेखा कायालय द्वारा बिलों/[illegible]उचरों (एनपीसीआई द्वारा प्रस्तुत किए गए) को आंतिरक संपरीक्षा के बाद [illegible] [illegible]

*****